-8/20

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एम.पी.नगर (वृत्त) तहसील हुजूर
जिला-भोपाल (म.प्र.)

श्री शैलेन्द्र प्रधान पुत्र श्री प्रभुदयाल प्रधान
श्री प्रणव प्रधान पुत्र स्व. श्री देवेन्द्र प्रधान
विरुद्ध
...............अनावेदक

अंतर्गत मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 के प्रकरण 63/अ-2/06-07
आदेश पारित दिनांक 3/5/07

आवेदक श्री शैलेन्द्र प्रधान पुत्र श्री प्रभुदयाल प्रधान श्री प्रणव प्रधान पुत्र स्व. श्री देवेन्द्र प्रधान निवासी ई-3/75 अरेरा कालोनी भोपाल द्वारा प्रस्तुत अपने स्वत्व की भूमि स्थित ग्राम अहमदपुर कला खसरा नंबर 13/1/1/1/1/1/1 में से 7.00 एकड़, ख.नं. 11-12/2/13/2/2/2/1/1/1 मे से 1.00 एकड़ कुल रकबा 8.00 एकड़ भूमि का ... आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं एन.एम.एस. द्वारा प्रस्तुत स्थल जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। कार्यालय संयुक्त संचालक जिला भोपाल नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा जारी अपने पत्र क. 147/एलपी-192/29/जिका/न.ग्रा.नि./07 दिनांक 26.03.2007 द्वारा मास्टर प्लान 2005 में निर्दिष्ट भूमि उपयोग आवासीय मार्ग एवं वृक्षारोपण मे से आवासीय भाग पर भूखण्डीय विकास की अनुज्ञा जारी की है। तदानुसार ही एस.एल.आर (परिवर्तित भूमि) द्वारा अपने प्रतिवेदन में आवेदित भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है।

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) एवं इसके ... नियमों के अनुसार आवेदक की भूमि स्थित ग्राम अहमदपुर कला खसरा 13/1/1/1/1/1/1 में से 7.00 एकड़, ख.नं. 10-11-12/2/13/2/2/2/1/1/1 मे से 1.00 एकड़ कुल रकबा 8.00 एकड़ भूमि का कार्यालय संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश विभाग भोपाल द्वारा निर्धारित भूमि उपयोग के लिये एस.एल.आर. (परिवर्तित भूमि) के प्रतिवेदन के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर पुनः निर्धारण रू. 1,50,125/- (रूपये एक लाख पचास हजार एक सौ पच्चीस मात्र) वर्ष 2007-08 से लगातार देय एवं प्रीमियम राशि रूपये 3,23,866/- (रूपये तीन लाख तेईस हजार आठ सौ छयासठ मात्र) अधिरोपित किया जाता है, उक्त भूमि का कृषि भू-राजस्व रूपये 21.00 कम किया जाता है, तथा ... समस्त शर्तों के पालन करने की अनिवार्यता के साथ आवासीय उपयोग हेतु ... स्वीकृत किया जाता है।

सत्य-प्रतिलिपि

निरन्तर..........2

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
राजधानी परियोजना,
... वृत्त भोपाल

तहसीलदार
... पी. नगर

रा.प्र.क्र. 63/अ-2/2006-07

- 2 -

1 प्रश्नाधीन भूमि का आवासीय कॉलोनी विकास करने से पूर्व संबंधित सभी विभागों से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा विकास अनुज्ञा के सह संलग्न अनुमोदित अभिन्यास के अनुसार मार्ग/खुली भूमि / वृक्षारोपण/निम्न घनत्व आदि के लिये स्थल पर रिक्त भूमि छोड़नी होगी। मास्टर प्लान 2005 में निर्धारित प्रयोजन में ही उपयोग करना होगा। अनुमोदन अभिन्यास के साथ उल्लेखित शर्तो का पालन करना होगा।

स्थिति में कृषि दर से मुआवजा लेना होगा।

3 स्थल पर विकास करते समय सार्वजनिक स्वास्थ्य लोक न्यूसेन्स बस्ती व आसपास के रहवासियों की सुविधा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

4 आवासीय प्रयोजन हेतु कॉलोनी निर्माण कार्य तीन वर्ष के अंदर करना अनिवार्य होगा।

राशि प्रतिवर्ष समय से जमा करना अनिवार्य होगा।

मुक्त समयावधि में शासकीय कोषालय में जमा कर चालान की मूल कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

भूखण्ड पर बने मकान के विकय के पूर्व कॉलोनी रहवासियों के लिए जल-मल की निकासी एवं उपचार हेतु आवश्यकत संयत्र की स्थापना करना आवश्यक होगा ।

8 संस्था द्वारा विकसित की जा रही कॉलोनी के प्लाट/परिवारों के लोगो के लिए पेयजल की उपलब्धता स्वयं के स्त्रोतो से करना आवश्यक होगा । इसके पश्चात् ही भूखण्ड पर बने मकान का विकय किया जावेगा ।

उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने भू-अर्जन होने या किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में व्यपवर्तन आदेश स्वमेव निरस्त माना जावे।

संबंधित पटवारी/एन.एम.एस. तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल करें।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभागीय अधिकारी
एम.पी.नगर वृत्त
तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.)

सत्य-प्रतिलिपि

COURT FEE
INDIA
एक रुपया
ONE RUPEE